

चिरेका/चित्तरंजन

सं. जीएमए/पेन/39वीं पेंशन अदालत

दिनांक: 01/08/2024

सर्व-संबंधित

विषय : 39वीं पेंशन अदालत 2024.

चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन में दिनांक:16.12.2024 (सोमवार) को 10.30 बजे से बधवार हॉल/तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र/चिरेका/चित्तरंजन में 39वीं पेंशन अदालत का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है।

पेंशन अदालत में चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन के पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन, भविष्य निधि/डीसीआरजी/ पेंशन के परिवर्तित मूल्य/ छुट्टी वेतन के नकदीकरण/ रेलवे या समूह बीमा की गैर-प्राप्ति से संबंधित शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। विशुद्ध रूप से कानूनी मुद्दे जैसे उत्तराधिकार आदि से संबंधित मामले पेंशन अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, इसलिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

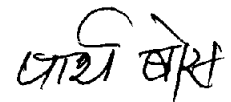
अनुरोध है कि इस सूचना का व्यापक प्रसार किया जाए ताकि पूर्व कर्मचारी/ पूर्व कर्मचारियों के परिवार के सदस्य सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित मामले पर अपनी शिकायत के संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर सकें।

आवेदन दो प्रतियों में प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन को निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक -क) में संलग्न किया जाना चाहिए, ताकि इस कार्यालय में 31.10.2024 तक अवश्य पहुंच जाए।

सामान्यतः 31.10.2024 के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदकों या उनके प्रतिनिधियों को अपने स्वयं के खर्च पर "अदालत सत्र" में भाग लेना होगा।

नोट: नोटिस चिरेका की वेबसाइट www.clw.indianrailways.gov.in पर Important NoticeTab में उपलब्ध है।



(पार्थ बोस)

सहायक कार्मिक अधिकारी/प्रशासन
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

सेवा में,

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
चितरंजन रेल इंजन कारखाना
चितरंजन

विषय: 39वीं पेंशन अदालत-2024 में शिकायत के लिए आवेदन।

1.	आवेदनकर्ता का नाम	
2.	पूर्व कर्मचारी का नाम	
3.	सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि	
4.	पूर्व कर्मचारी का पदनाम, टिकट/ संख्या एवं कार्यालय	
5.	विभाग	
6.	पिन कोड सहित डाक पता	
7.	पी.पी.ओ. संख्या	
8.	मोबाईल नंबर	
9.	व्हाट्स एप नंबर.	
10.	शिकायत की प्रकृति	

दिनांक:

स्थान:

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना
पत्रालय: चित्तरंजन, जिला: पश्चिम बर्धमान
पश्चिम बंगाल- 713331

सूचना

पेंशन अदालत

पेंशन अदालत

पेंशन अदालत

चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना, चित्तरंजन में दिनांक:16.12.2024 (सोमवार) को 10.30 बजे से बधवार हॉल/तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र/चिरेका/चित्तरंजन में 39वीं पेंशन अदालत का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है।

पेंशन अदालत में चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना, चित्तरंजन के पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन, भविष्य निधि/ डीसीआरजी/ पेंशन के परिवर्तित मूल्य/ छुट्टी वेतन के नकदीकरण/ रेलवे या समूह बीमा की गैर-प्राप्ति से संबंधित शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। विशुद्ध रूप से कानूनी मुद्दे जैसे उत्तराधिकार आदि से संबंधित मामले पेंशन अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, इसलिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि आपको उपर्युक्त संदर्भित बिंदुओं से संबंधित कोई भी शिकायत है, तो आवेदनकर्ता का पूरा नाम, पूर्व-कर्मचारी का नाम, सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि, कर्मचारी के अंतिम पद का विवरण, पिन कोड सहित डाक पता, पी.पी.ओ संख्या, मोबाईल नंबर, व्हाट्स एप नंबर और शिकायत की प्रकृति एवं पूर्ण विवरण एक बंद लिफाफे में, जिसके ऊपर "पेंशन अदालत-2024 के लिए" लिखकर 31.10.2024 तक निम्न पते पर भेजें:

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी,
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना,
पत्रालय: चित्तरंजन,
जिला: पश्चिम बर्धमान
पश्चिम बंगाल, पिन कोड: 713331

31.10.2024 के बाद ,पेंशन अदालत-2024 के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।


प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना
चित्तरंजन